न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं०–3, आजमगढ़

CNR No.UPAZ01–000104–2001

सत्र वाद सं०–450/2009
राज्य बनाम हरिलाल
अपराध सं०–660/2009
धारा–323, 304, 504 भा०द०सं०
थाना–मुबारकपुर, आजमगढ़

दिनाँक–05.05.2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभियुक्त हरिलाल उपस्थित। पत्रावली अतिप्राचीन है, किन्तु अभी तक अभियोजन द्वारा एक भी साक्षी का साक्ष्य अंकित नहीं कराया गया है। पत्रावली के परिशीलन से यह भी स्पष्ट है कि पूर्व की तिथि पर साक्षी राधिका देवी पत्नी स्व० राम कुंवर निवासी ओझौली, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ पर बी०डब्लू० तामील है, परन्तु साक्षी द्वारा अपनी उपस्थिति न्यायालय के समक्ष दर्ज नहीं करायी गयी है। ऐसे में साक्षी राधिका देवी के विरूद्ध गैर जमानतीय वारण्ट जारी करना हितकर है। साक्षी राधिका देवी के विरूद्ध गैर जमानतीय वारण्ट जारी हो। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनाँक 12.05.2026 को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०–3, आजमगढ़
J.O.Code UP 2403

Digitally signed by AJAY SRIVASTAVA
Date: 2026.05.05 10:51:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court